महत्वपूर्ण एवं खास

शादी कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन, प्रशासन ने 150 व्यक्तियों का कटा जुर्माना

सील किया जा सकता है, बोइरदादर स्थित ईडन गार्डन मैरिज गार्डन

रायगढ़। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा शादी समारोह में 50 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। आज शाम बोइरदादर स्थित ईडन गार्डन मैरिज गार्डन में कोविड प्रोटोकोल के उल्लंघन की सूचना पर प्रभारी तहसीलदार के साथ थाना प्रभारी चक्रधरनगर अपनी टीम के साथ पहुंचे। जहां अनुमति प्राप्त 50 लोगों को छोड़कर मौजूद 150 लोगों का पांच-पांच सौ का जुर्माना (75,000 रुपए) वसूल किया गया है।प्रभारी तहसीलदार द्वारा जुर्माना काटे गए लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी गई है।

15 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 07.07.2021 को थाना पूंजीपथरा में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का हमराह प्रधान आरक्षक गौतम ठाकुर, आरक्षक गणेश राम राठिया द्वारा मुखबिर सूचना पर गेरवानी डीपापारा पंजाबी तालाब के पास बहारसिंह पिता ननकी राम बर्मन उम्र 55 वर्ष सा0 गेरवानी डीपापारा थाना पूंजीपथरा से 15 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। आरोपी महुआ शराब अवैध बिक्री के लिये रखना स्वीकार किया है। आरोपी के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में धारा 34 (2)59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

दुर्घटनाजन्य स्थल का यातायात, परिवहन, लोक निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने किया संयुक्त निरीक्षण

रायगढ़। जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वर्ष 2021 में चिन्हांकित किए गए दुर्घटनाजन्य(ब्लैक स्पॉट) क्रमशः छातामुड़ा चौक, काशीराम चौक, पटेलपाली, पतरापाली, कोड़ातराई, झलमला, नेतनागर, दर्रामुड़ा, गढ़उमरिया, उर्दना तिराहा, अड्डारह नाला, फगुरम, कंचनपुर का आज दिनांक 07/07/2021 को मौका निरीक्षण एवं आवश्यक सुधार कार्य समीक्षा हेतु यातायात विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही में सुमित अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ , पुष्पेंद्र सिंह बघेल उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़, ध्रुव लोक निर्माण विभाग रायगढ़, राठौर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग रायगढ़ एवं अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।

विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 26 से 30 जुलाई तक

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 26 से 30 जुलाई 2021 तक आहूत है। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले विधानसभा प्रश्नों/ध्यानाकर्षण सूचना संबंध में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस जिले में पदस्थ एवं कार्यरत समस्त अधिकारी-कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है कि वे सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति के बिना न ही अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय से बाहर जायेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र : अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 26 से 30 जुलाई 2021 तक आहूत है। कलेक्टर भीम सिंह ने उक्त सत्र में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों का उत्तर तैयार कराकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शासन को उपलब्ध कराने हेतु अपर कलेक्टर रायगढ़ रामअधारी कुरूवंशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अपर कलेक्टर कुरूवंशी का दूरभाष नंबर 07762-222290, फैक्स नंबर 07762-222291 एवं मोबाईल नंबर 94242-82735 है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 11 जुलाई को

रायगढ़ । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 19 वीं कड़ी का प्रसारण 11 जुलाई रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

सेवा सहकारी समिति का भृत्य पिछले दो साल से लगातार निकाल रहा था दूसरे के खाते से रकम, हुआ गिफ्तार

» धोखाधड़ी के दो मामलो में आरोपी 7.95 लाख नकद जब्त

रायगढ़। गत दिनों पुलिस चौकी जूटमिल अन्तर्गत में ग्राम तरकेला निवासी हीरालाल चौधरी (उम्र 66 वर्ष) द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी कर 5,45,510 रूपये निकाले जाने तथा ग्राम ननसिया, जूटमिल निवासी अश्वनी कुमार पटेल (उम्र 61 वर्ष) द्वारा एटीएम से अज्ञात 2,50,000 रूपये व्यक्ति द्वारा निकाल लिये जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। दोनों ही प्रार्थी के छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा रायगढ छ.ग. (अपेक्स बैंक) में खाता है। अपेक्स बैंक से जारी किया हुआ पास बुक मिला है। खाता में खरीफ फसल धान की विक्रय की राशि

प्रत्येक वर्ष जमा होता है।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि रूपये आहरण का कोई भी मैसेज मोबाईल पर नहीं आया है और न ही किसी प्रकार का कोई ओटीपी आया था। शंका है कि छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा रायगढ छ.ग. (अपेक्स बैंक) के शाखा प्रबंधक एवं संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी एवं सेवा सहकारी तरकेला के प्रबंधक एवं संबंधित कर्मचारी की मिलीभगत से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके नाम से जारी एटीएम कार्ड से कुल 7,95,510 रूपये का आहरण कर गबन किया गया है। आवेदन पर थाना सिटी कोतवाली (चौकी जूटमिल) में अप.क्र. 908/2021 एवं 937/2021 धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रभारी चौकी जूटमिल उपनिरीक्षक आरएस नेताम द्वारा घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा को देते हुए उनके दिशा निर्देशन पर हमराह आरक्षक प्रकाश नारायण गिरी एवं ओशनिक विश्वाल के साथ अपेक्स बैंक एवं सेवा सहकारी तरकेला के प्रबंधक एवं कर्मचारियों से कड़ी पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर जांच में जुटे प्रथम दृष्टिया सेवा सहकारी तरकेला के भृत्य धनीराम पटेल निवासी तरकेला की भूमिका संदिग्ध लगने पर उसे हिकम्मतअमली से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि वर्ष 2009 से संविदा बतौर सेवा सहकारी तरकेला में भृत्य का काम कर रहा है। बैंक द्वारा खाताधारकों को एटीएम वितरण करने रजिस्टर में उनके नाम दर्ज कर एटीएम को एक्टिवेट कराने का काम करना जानता था। दोनों प्रार्थी के एटीएम को धनीराम अपने पास रखकर पैसा निकालना शुरू किया जब इसे आभास हुआ कि रूपये निकालने पर प्रार्थीगण के मोबाइल पर मैसेज नहीं जा रहा है तो पिछले दो साल से अलग-अलग एटीएम से कुल 7,95,510 रूपये निकालकर घर में छिपा रखा था। जूटमिल पुलिस आरोपी से नकदी 7,95,510 रूपये तथा वारदात में प्रयुक्त मोटर सायकल सीजी13 आर 8451, एक गमछा (जिससे मुंह छिपाया करता था) को बरामद किया गया है। आरोपी धनीराम पटेल पिता हेमराम पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी तरकेला चौकी जूटमिल थाना कोतवाली द्वारा अकेले ही घटना को अंजाम देना तथा किसी और की अपराध में संलिप्तता से इंकार किया गया है, आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की अंनतिम मेरिट सूची जारी

रायगढ़। रायगढ़ जिला अंतर्गत मितानिन के लिये आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा के रिक्त पद पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला/बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला के कुल 20 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों का जांच उपरांत एवं विभागीय परीक्षा उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर अनंतिम मेरिट सूची जारी किया गया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 23 प्रतिशत अहंकारी अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से मिलान किये जाने हेतु 10 जुलाई शनिवार को सरल क्रमांक 1 से 80 तक, 12 जुलाई सोमवार को सरल क्रमांक 81 से 160 तक एवं 13 जुलाई 2021 मंगलवार को सरल क्रमांक 161 से 235 तक का प्रातः10.30 से कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिंदल रोड भगवानपुर रायगढ़ में संबंधित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिये जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में अवलोकन कर सकते है।

बैटरी व डीजल चोरी में संलिप्त 3 आरोपी व 2 खरीददार गिरफ्तार

» आरोपियों से 2 बैटरी, 60 लीटर डीजल व नकदी बरामद

रायगढ़। चौकी खरसिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 07/07/2021 को क्षेत्र में डीजल, बैटरी की चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों तथा चोरी सामान के दो खरीददार को गिरफ्तार कर उनसे पूरी मशरूका की बरामदगी की गई है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका खरसिया के फायरबिग्रेड वाहन से 60 लीटर डीजल चोरी मामले में खरसिया पुलिस सीसीटीवी खंगाली तो उसमें संदिग्ध शनि सिदार (22 साल) निवासी खरसिया दिखा जो पूर्व में चोरी के मामलों में शामिल था, जिसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर अपने साथी रवि शर्मा (29 साल), नरेन्द्र गबेल (20 साल) दोनों निवासी खरसिया के साथ डीजल चोरी तथा दिनांक 25/06/2021 को रायगढ़ चौंक के पास खड़ी ट्रेलर से 02 बैटरी की चोरी करना कबूल किया। आरोपीगण एक बैटरी को प्रशांत श्रीवास उम्र 20 साल निवासी खरसिया

तथा डीजल को धर्मेन्द्र साहू उम्र 41 साल निवासी पठानपारा खरसिया के पास बिक्री करना बताये हैं। आरोपीगण मेमोरेंडम पर चोरी गई दो नग बैटरी कीमती 8000 रूपये तथा 60 लीटर डीजल एवं आरोपी व खरीददार से 3000 रूपये नकदी बरामद किया गया है। चोरी में संलिप्त शनि सिदार रवि शर्मा, नरेन्द्र गबेल तथा खरीददार- प्रशांत श्रीवास, धर्मेन्द्र साहू को बैटरी चोरी के अपराध क्रमांक 99/21 धारा 379 आईपीसी एवं डीजल चोरी के अप.क्र. 402/21 धारा 379 आईपीसी में गिरफ्तारर कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी उनि नंदकिशोर गौतम, आरक्षक कीर्ति सिदार, सोहन यादव, महेश चौहान की सक्रियता थी।

पैरोल पर रिहा नकुल से चोरी के 16 साइकिल के साथ गिरफ्तार

» शातिर चोर से पूर्व में भी क्राईम ब्रांच ने 125, सरिया पुलिस ने 68 व चक्रधरनगर पुलिस ने 38 सायकलें की थी बरामद

रायगढ़। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनव कांत सिंह को थानाक्षेत्र अन्तर्गत कृष्ण वाटिका कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी में घर के बाहर व आंगन में खड़ी साइकलें चोरी की शिकायतें मिली थी थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ से घर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कराने पर पूर्व में साइकिल चोरी में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजे गए आरोपी नकुल साहू से हुलिया का मिलान हो रहा था जिस पर स्टाफ उस पर नजर रखें हुई थी कि

दिनांक 06/07/201 को मुखबीर द्वारा छोटे अतरमुड़ा टीवी टावर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को एक लाल रंग की साइकिल लेकर ग्राहक तलाश करते खड़े होने की जानकारी दिया। सूचना पर पुलिस टीम रवाना होकर मौके पर पहुंची, संदिग्ध से नाम पता पूछने पर नकुल साहू बताया स्टाफ उसे लेकर थाने लाई तो नकुल साहू सायकल बेचने के लिये ग्राहक तलाश करना बताया जो उसकी सायकल नहीं थी। आरोपी नकुल अभी पैरोल में होना बताया है। आरोपी से हिकम्तअमली कर पूछताछ करने पर आरोपी से चोरी की कुल 16 नग साइकिलें विभिन्न कंपनियों के जप्त किए गए हैं। आरोपी नकुल साहू पिता गोपीनाथ साहू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम औरदा थाना पुसौर जिला रायगढ़ हाल मुकाम संत विनोबा नगर चौकी जूटमिल पर धारा 41(1-4) सीआरपीसी /379 आईपीसी की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनवकांत सिंह के नेतृत्व पर हेड कांस्टेबल अरुणा चौरसिया, आरक्षक विक्कू सिंह, चंद्र कुमार बंजारे एवं धीरेंद्र पांडे की आरोपी गिरफ्तारी एवं चोरी की साईकिलें बरामदगी में योगदान रहा है। ज्ञात हो कि आरोपी नकुल साहू से पूर्व में क्राईम ब्रांच द्वारा वर्ष 2017 में 125 नग सायकल, अगस्त 2019 में सरिया थाने द्वारा 68 सायकल तथा नवम्बर वर्ष 2020 में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा 38 सायकलें जप्त कर कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था, जो पैरोल में बाहर था।

चौपाल लगाकर कलेक्टर भीम सिंह ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

» वन अधिकार पट्टा देने और भूमि का समतलीकरण करने के दिए निर्देश

रायगढ़ । लैलूंगा ब्लाक के ग्राम केनापारा में कलेक्टर भीम सिंह ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं व मांग सुनी। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने वन अधिकार पट्टा देने और दिए गए पट्टा भूमि का समतलीकरण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल भी इस दौरान साथ रहे।

कलेक्टर भीम सिंह ने लैलूंगा ब्लाक के ग्राम केनापारा का निरीक्षण किया। इस दौरान गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित सामुदायिक भवन पर चौपाल लगाकर कलेक्टर सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर सिंह ने ग्रामीणों से वन अधिकार पट्टा मिलने और भूमि के उपयोग करने संबंधित बातों पर चर्चा की। इस दौरान कई किसानों ने पट्टा मिलने संबंधित भूमि का समतलीकरण नहीं होने पर फसल लेने में परेशानी आने की बात कही। इस पर कलेक्टर सिंह ने जनपद सीईओ को मनरेगा के तहत ग्रामीणों के भूमि को समतलीकरण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान

पटवारी से ग्राम पंचायत अंतर्गत वन अधिकार पट्टा संबंधित जानकारी ली गई। पटवारी ने बताया कि 14 ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टे देने की कार्रवाई की गई है। इस पर संख्या कम होने पर कलेक्टर सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी पात्र ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा देने संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पूर्व में तालाब गहरीकरण के तहत मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं होने संबंधित शिकायत की। इस पर कलेक्टर सिंह ने ग्राम सचिव को भुगतान कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने ग्राम सचिव को पूर्व सचिव द्वारा चार्ज नहीं देने और भुगतान संबंधित कागजात रखने की संबंधित भी शिकायत की। इस पर कलेक्टर सिंह ने जनपद सीईओ को संबंधित सचिव पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और उसका त्वरित निराकरण करने पर कलेक्टर सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया।

वन विभाग गौठान का किया गया निरीक्षण

कलेक्टर भीम सिंह ने ग्राम के समीप ही वन विभाग के गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान गौठान के लिए स्वीकृत कार्य एवं एस्टीमेट की जानकारी ली गई। रेंजर ने बताया कि अभी तक 184 क्विंटल गोबर की खरीदारी की गई, जिसे वर्मी कंपोस्ट में डालकर खाद बना लिया गया है। कलेक्टर सिंह ने वर्तमान में गोबर खरीदी के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने गौठान के एस्टीमेट में स्वीकृत कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने गौठान के चारागाह में नेपियर उगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

अवैध रेत परिवहन/ संग्रहण, कबाड़ी, जुआ-सट्टा, मादक पदार्थ पर की गई कार्रवाई

रायगढ़। रेत के अवैध उत्तखन्न पर अंकुश लगाने की दिशा में रेत के अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर कार्रवई के लिये दिये गये दिशा निर्देशों पर दिनांक 05/07/2021 को एक ही दिन विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत 32 प्रकरण अवैध रेत परिवहन एवं संग्रहण के बनाये गये है, जिसमें परिवहन में प्रयुक्त वाहनों 28 वाहन (2 ट्रक, 2 डंपर व 24 ट्रेक्टर) एवं रेत के अवैध संग्रहणकर्ताओं पर धारा 102 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है तथा पृथक से कार्रवाई की सूचना खनिज विभाग को दी गई है। इसके साथ ही जिला पुलिस जुआ, शराब, कबाड़, मादक पदार्थों पर उम्दा कार्रवाई की गई है, संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

पिछले तीन दिनों में थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत अवैध कबाड परिवहन में लिप्त 12 चक्का ट्रक से 23 टन कबाड कीमती 5,64,480 रूपये का जप्त। कोतवाली थानाक्षेत्र अन्तर्गत मोटर सायकल चोर से 03 मोट सायकलें कीमती 1,55,000 रूपये कीमती बरामद। इन तीन दिनों में सरिया थाना अन्तर्गत डिजायर कार से गांजा परिवहन करते आरोपी से 07 किलो गांजा व कार की जप्ती। विभिन्न थाना अन्तर्गत जुआ-सट्टा के 13 प्रकरण, मोटर व्हीकल एक्ट के 506 प्रकरण, हाइवे पर खतरनाक तरीके से खड़ी करने वाले 05 वाहन चालकों पर धारा 283 आईपीसी की कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन कर पकड़े गये 22 व्यक्तियों पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई।

आंगनबाड़ी में आयोजित वजन त्यौहार में शामिल हुये विधायक प्रकाश

रायगढ़। जिले में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आंकलन हेतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार प्रारंभ किया गया है, यह 16 जुलाई तक चलेगा।

रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक की उपस्थिति में पंजरी प्लांट के हनुमान नगर आंगनबाड़ी केन्द्र में वजन त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर विधायक नायक ने कहा कि बच्चों को कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकालने के उद्देश्य से यह वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। जिससे बच्चों के कुपोषण के स्तर का आंकलन कर उन्हें आवश्यक पोषण आहार उपलब्ध करवाया जा सके। इससे बच्चों को जल्द कुपोषण से मुक्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी पालकों से अपने 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में लेकर आने और उनका वजन कराने हेतु आग्रह किया। साथ ही सभी किशोरी बालिकाओं को हिमोग्लोबिन टेस्ट कराने हेतु कहा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी भी उपस्थित रहे।

न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

रायगढ़ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशन पर 10 जुलाई 2021 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से जिला मुख्यालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया में किया जायेगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलो, श्रम संबंधी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा धारा 188 भा.द.सं.एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुये उक्त तिथि को विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा निराकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस लोक अदालत को हाइब्रिड लोक अदालत के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

अतःअधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो, इस हेतु जिला प्राधिकरण स्तर पर पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से नोटिस तामीली के दौरान एवं प्राधिकरण के वाहर में बैनर, आडियो, विडियो के द्वारा चौक-चौराहे एवं हाट-बाजार लोक अदालत के फायदे एवं राजीनामा के माध्यम से मामलों के निपटारे के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर सूचना दी जा रही है। साथ ही आकाशवाणी में भी जनसूचना प्रसारित किये जाने की कार्यवाही की गई है। जनपद पंचायत एवं नगर निगम के सहयोग से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत में आने वाले मामलों के पक्षकारों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनके टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मामलों के पक्षकारों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु समग्र यात्री जनकल्याण समिति की ओर से नेशनल लोक अदालत के दिन मामलों के पक्षकारों को निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपनी सहमति दी गई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480